

	Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073568, Fax: 4073553 Website: www.cserc.gov.in , E-mail: cserc.sec.cg@nic.in ;	
NOTICE FOR PUBLIC HEARING		
<p>M/s Jindal Steel and Power Limited (JSPL-D) has filed petition no.46/2022, for determination of Annual Revenue Requirement (ARR) for the MYT control period from FY 2022-23 to FY 2024-25, determination of tariff for FY 2022-23 along with revised estimate of FY 2021-22 and True-up of FY 2019-20 & FY 2020-21 for its licensed distribution business under section 61, 62 & 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003. In compliance to the Hon'ble APTEL order dated 06/05/2022 for determining tariff from FY 2011-12 to till date in respect of JSPL-D, the Commission merged the other petition no. 39/2012, 62/2018, 33/2020, 07/2021 and 14/2021 with petition nos. 46/2022. The gist of the petitions was published on 05/08/2022 in the newspapers to invite objections/suggestions</p> <p>Above petitions are available on the Commission's website: www.cserc.gov.in. A public hearing on these petitions will be held on 12/10/2022 at 11:30 a.m. in the Commission's office.</p>		
SECRETARY		

	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर 492001 वेब साइट www.cserc.gov.in ई-मेल cserc.sec.cg@nic.in फोन नं. 0771-4073568 फैक्स 4073553	
जन-सुनवाई हेतु सूचना		
<p>मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लि. (जेएसपीएल-डी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण, वर्ष 2022-23 हेतु खुदरा दर, वित्तीय वर्ष 2021-22 का संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के टू-अप हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 86(1)(a) के अंतर्गत याचिका क्र. 46/2022 आयोग के समक्ष दायर की है। माननीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06/05/2022 के अनुपालन में आयोग द्वारा जेएसपीएल-डी, हेतु वर्ष 2011-12 से अब तक के टैरिफ निकालने हेतु याचिका क्रमांक 39/2012, 62/2018, 33/2020, 07/2021 एवं 14/2021 को भी इस याचिका क्रमांक 46/2022 के साथ निराकृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त याचिकाओं पर आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 05/08/2022 के समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी।</p> <p>उक्त याचिकाएं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर जन-सुनवाई दिनांक 12/10/2022 को प्रातः 11:30 बजे आयोग के कार्यालय में की जाएगी।</p>		
सचिव		